प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:–चौकी एसीबी कोटा **थाना** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर

प्र0सू0रि0संख्या 59 / 2022 दिनांक 23/02/2022

2.(अ)अधिनियम–भ्र0नि0अधि0 2018 **धारायें** –7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018

(ब) अधिनियम.....भारतीय दण्ड संहिता **धाराये....** 120 बी

(स) अधिनियम..धारायें......................

(द)अन्य अधिनियम धारायें...

3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 497 समय 6:00 pm

(ब)अपराध घटने का दिन–शुक्रवार दिनांक 21.02.2022 समय. 4.17 पीएम

(स)थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.02.2022

4.सूचना की किस्म लिखित/मौखिक– लिखित

5.घटनास्थलः– होटल वेलकम, रामगंज बालाजी, जयपुर कोटा रोड, बून्दी।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–उत्तर दिशा, 35 किलोमीटर

(ब) पता बीट संख्या..................जरायम देही संख्या.....................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री बनवारीलाल

(ब) पिता का नाम – श्री मांगीलाल

(स) जन्म तिथि/वर्ष... 30 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या –, जारी होने की तिथि –, जारी होने की जगह –

(र) व्यवसाय–होटल, संचालन

(ल)पता– ग्राम –झुवांसा, हाल होटल वेलकम, रामगंज बालाजी, एन.–52 जयपुर कोटा रोड बून्दी।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल, निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास गेट नम्बर तीन के पास

नवजीवन कॉलोनी बून्दी हाल कनिष्ट अभियन्ता नमाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जे0वी0वी0एन0एल0 बून्दी ग्रामीण राजस्थान।

2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल जाति तेली उम्र 34 साल,निवासी रायता थाना सदर जिला बून्दी।

8.परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारणः– शून्य

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

10.चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य....20,000 / –रू. रिश्वत राशि

11.पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...............................

12.विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें):–

महोदय, हालात इस प्रकार है कि– दिनांक 17.02 .2022 समय 01:00 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को जरिये मोबाईल 7689905823 श्री बनवारी लाल ने सूचना दी कि बिजली विभाग, नमाना का जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा तथा ठेकादार कन्हैयालाल मेरी रामगंजबालाजी जयपुर कोटा रोड बूंदी पर स्थित वेलकम होटल के पीछे निकली हुई 11 के.वी. लाईन को शिफ्ट करने के लिए 30,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे हैं तथा आज ही उन्होने मेरी होटल पर आने के लिए कहा हैं, मैं भ्र.नि. ब्यूरो कोटा कार्यालय में शिकायत देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, मै नमाना का जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा तथा ठेकादार कन्हैयालाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 को अपने कक्ष में बुलाकर समस्त हालात बताये तथा कार्यालय के मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की सुपुर्दगी बनाकर रिश्वत का मांग सत्यापन करवाने के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर उससें सम्पर्क कर परिवादी सें शिकायत प्राप्त करने तथा मांग सत्यापन करवाने के लिए डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर रामगंजबालाजी, जयपुर कोटा रोड बूंदी रवाना किया वापसी पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री बनवारी लाल की शिकायती पत्र के कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि परिवादी सें मोबाईल वार्ता कर मैं यंहा सें रवाना होकर रामगंजबालाजी होटल वेलकम गया जंहा होटल वेलकम का मालिक श्री बनवारी लाल मुझे मिला तथा उसने एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझे दिया तथा कहा की मेरी जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा जी व श्री कन्हैयालाल सें पृथक–पृथक मोबाईल पर वार्ता हुई हैं उन्होने मेरी होटल पर आने के लिए कहा हैं तथा वो दोनों मुझ सें यंही पर रिश्वत की बात करेंगे इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया था, स्वयं होटल के अन्य कमरे में जाकर बैठ गया तथा समय करीबन 4.25 पी.एम. पर कन्हैयालाल अपनी मोटर साईकिल सें होटल पर आया, जिस पर परिवादी होटल के कमरे में जहां मैं बैठा हुआ था आया तथा बताया कि जेईएन राजेन्द्र मीणा तो नहीं आया किन्तु कन्हैयालाल आया हैं, जो मुझे साथ चलने के लिए कह रहा हैं, मै उसको चाय पीने के लिए बोलकर आपके पास आया हूं। इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर उसके साथ जाने के लिए कहा। परिवादी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालुकर कन्हैयालाल के साथ स्वयं की कार सें रवाना हुआ तथा पीछे–पीछे में भी अपनी गाडी सें रवाना हुआ, होटल वेलकम सें रवाना होकर परिवादी कार्यालय विद्युत वितरण निगम, ग्रामीण सैकण्ड, नैनवा रोड बून्दी पहुंचा तथा परिवादी को गाडी में ही छोडकर कन्हैयालाल कार्यालय के अन्दर गया तथा कुछ समय बाद वापस आया तथा परिवादी की गाडी वापिस रवाना हुई, तो मैं भी उनकी गाडी का पीछा करता हुआ वापिस होटल आ गया। परिवादी ने बताया कि कन्हैयालाल अभी–अभी यंहा सें अपनी मोटर साईकिल सें रवाना हुआ हैं, वो मुझे जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा को रिश्वत की रकम दिलाने के लिए नैनवां रोड के बिजली